कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

:–कार्यालय–आदेशः–

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक क्रमांकः– शिविरा–माध्य/ संस्था/सी–2/इति–वाणि/इतिहास/स्थानान्तरण/2020–21 दिनांकः–04.01.2021 के तहत कैलाश चन्द शर्मा व्याख्याता इतिहास का स्थानांतरण सरदार मेमोरियल राउमावि, पालडी मीना–जयपुर से राउमावि, खोडीया–पाली किया गया। कैलाश चन्द शर्मा ने अपने स्थानांतरण के विरूद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 257/2021 कैलाश चन्द शर्मा बनाम राज्य सरकार व अन्य में दायर की। माननीय अधिकरण, के निर्णय/आदेश दिनांक 18.01.2021 द्वारा अपीलार्थी को अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

माननीय अधिकरण के निर्णय के कम में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर, स्थानान्तरित स्थान का 300 कि.मी की दूर होना, किड़नी की बीमारी से ग्रस्त होने के आधार पर निम्नलिखित रिक्त पदोंः–1.राउमावि, मण्डी खटीकन, जयपुर 2.राउमावि, चाकसू–जयपुर 3. राउमावि, फागी–जयपुर 4. राउमावि, थली–जयपुर 5. राउमावि आंधी–जयपुर 6. राउमावि, बगरू–जयपुर पर पदस्थापन करने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

यह विधि सुस्थापित सिद्धान्त है कि लोकसेवकों द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन/स्थानान्तरण की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती, अपितु उपलब्ध मानव संसाधन का प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार उपयोग करना नियोक्ता के विवेकाधीन है। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। अतः अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन में प्रस्तुत यथावत/वांछित स्थान पर पदस्थापन हेतु की गई मांग नियमानुकूल/तर्कसंगत नहीं होने के कारण खारिज योग्य पाये जाने के आधार पर एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित हों।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–2/अभ्यावेदन/कैलाश चन्द/को.के/20–21

दिनांकः– 5/2/21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय),
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्रधानाचार्य
9. संबंधित कार्मिक
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर